ा नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2021 जगतपुरी। किदवई नगर।अजीत नगर।मटियामहल। रघुबरपुरा।मदन







जाते हैं सुंदर कांड
राजधानी के सामी मंदिर में महत हरमान
हालीसा और सुंदरकाड पढ़े जाते हैं
हैं। माना जाता है कि सुंदर कांड का गाठ
हैं। माना जाता है कि सुंदर कांड का गाठ
हैं। माना जाता है कि सुंदर कांड का गाठ
होंगा रूप से शामित्रत तथा मंगलकार
को करना चाहिए। उम्मीद की जाती।
हािए कि कोरामा के कारद से दुनिया
के महत्वन के कार मिद्र सर्जे और महिदों में सुंदरकांड पहले की तरह
रहे से जाएगा। मान्द्रता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से इंसान के
कर टू रहे जाता है। सुंदरकांड में मुनान जो की माता सीता की खोज
के लिए लक्त जाने की याता को प्रस्तुत किया गाता है। कन्मीट प्लेश के
हिसा महिदे के पुलागी मान्द्र आत्र करते हैं कि हमाना को को प्रसान करने
के लिए अगर सबसे उत्तम कोई उपाय है, वो बढ़ है सुंदरकांड का गाउ।
कोई भी इस उपाय में बत्तम कोई जाय है, वो बढ़ है सुंदरकांड का गाउ।
है। इसमें दिशोप रूप से हमुमान जो के किया का गान किया गाता है, जो
पहने जाते में आत्रमहिवारा का संस्तान करती है। इसमें समित्रियां का स्तिव्या करा मान करती। है। इसमें समित्रियां का स्तिव्या करता है। इसमें समित्रियां वा को साल करती। है। इसमें समित्रियां का स्तिव्यां करता है। इसमें स्त्रमें एक से हमुमान जो के किया का गान किया गाता है, जो
पहने जाते में आत्रमहिवारां का संस्तान करता है। इसमें समित्रियां का संस्ता है।
होता है। क्ष्मी समित्रमात का संस्तान करता है। इसमें समित्रमात्र के सुंदर कांड की नक्सालक शातिरयां
वाली जाती है।

देखें हमारी वेबसाइट nbtdilsedilli.com

8वीं तक के स्कूल खोले जाने पर नवंबर में ही होगा फैसला अनलॉक पर DDMA के आदेश में 31 अक्टूबर तक कोई बदलाव नहीं


@tmesgroup.com

■ मुई दिल्ली : दिल्ली आपदा प्रवंघन
अर्थारिटी (डीडीएमए) के नए आदेश
में अर्थ कोई वदलाव नहीं किया जा रहा
है। सुत्रों के मुताबिक 15 अब्दूबर तक के
नियम लागु थे, उनकी 31 अब्दूबर तक के
लिए लागु करने का आदेश दिया गया है। ानयम लागू युं, उनका 31 अमृद्रवर तक के लिए लागू करने का आदेश दिया गया है। यानी Sवों तक के स्कृत 31 अस्ट्रवर तक की खोलने का फैसला नर्वेस में स्कृतों को खोलने का फैसला नर्वेस में ही होगा। दिवाली के बाद अर्थे करास तक के नर्वा को स्कृत जाने का मीका मिल सहता है। बदीं, मेद्रों-नसों के लिए लागू किए गए नियमों



नियम जारी रहेगा। गुरुवार सुनह मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सार्वजीनक छट पूजा आयोजन की अनुमति देने की मांग करते हुए उपराज्यपाल और डीडीएमए के चेयामैन अनिल वैजल को आर डांडाएमए क चयरमन आनल तका का पत्र लिखा था। इस पत्र के ताद डीडीएमए की मीटिंग तुलाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों का कहना हैं कि उपराज्याल की ओर से चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया हैं कि इस मुहें पर डीडीएमए की मीटिंग तुलाई जाए।


में कहा था कि जिस तरह से दूसर गड़ामों में क्षेत्रिड प्रोडोमिक के तात छट गुजा मानो भी इजाजत दी गई है, उसी तरह से दिस्ती में भी छट गुजा के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। ग्रीडीएमए ने फेस्टिज सीजन के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैंजस्ट्रेट, डीसीगी और संबंधित विभागों को कड़ी निमारानी करने के आदेश जारी किए हैं।



आर्पीएफ के हवलदार और सिपाही की ट्रेन से कटकर मौत

हादसे के वक्त ट्रैक पर कर रहे थे पट्रोलिंग







• Gold Standard Safety Protocol • 100% Vaccinated Store Staff • UV Sanitised Jewellery

